भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 97/सेक (वि) 200/21 वाहन

नई दिल्ली, दि 20-8-97

स्थायी आदेश सं. 38

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब., सब भारतीय रेलें
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.वि.ब., रेलवे बोर्ड

विषय : रेलवे सुरक्षा बल के लिए अतिरिक्त परिवहन और ड्राइवरों की व्यवस्था

रे.सु.ब. की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त नए वाहनों के प्रापण की मंजूरी रेलवे बोर्ड अपने पत्र सं. 97/एम (एम एंड पी)/1063/50 दि. 10.7.97 के अंतर्गत पहले ही दे चुका है और यह पत्र सब सी एस सी और डी एस सी/रे.सु.ब. को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दि. 16.7.97 द्वारा पहले ही परिपत्रित किया जा चुका है। क्षेत्रीय रेलों ने अब तक प्रापण की प्रक्रिया आरंभ कर दी होगा।

इस संबंध में, निम्नलिखित अनुदेश आपके मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

(i) किफायत के कारण ड्राइवों के कोई नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे।

(ii) आप वर्तमान जनशक्ति में से ऐसे रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कर्मचारियों की पहचान करें जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं और वाहनों को चलाने के इच्छुक हैं। आप उन्हें इस प्रयोजना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

(iii) चूंकि रे.सु.ब. चौकी/बाहरी चौकी स्तर पर मोटर साइकिल उपलब्ध कराए जा रहे हैं! इसलिए किसी ड्राइवर की व्यवस्था न की जाए और मोटर साइकिल निरीक्षकों/उप निरीक्षकों/सहायक निरीक्षकों द्वारा चलाए जाएं जिसके लिए उनके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइव करने की उनकी योग्यता की भी उचित रुप से जांच की जाएं।

(iv) इसी प्रकार, क्षेत्रीय/मंडल मुख्यालयों पर रे.सु.ब. राजपत्रित अधिकारी (डी सी एस/कमांडेंट, ए एस सी/ए सी) उनको आबंटित वाहनों को स्वयं चलाएं बशर्ते कि उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो और वाहन चला सकते हैं। जिन राजपत्रित अधिकारियों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस/अनुभव नहीं है उन्हें उचित प्रशिक्षण और अनुभव के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और तब ही वे सरकारी वाहनों को चलाएंगे।

(v) यह सामान्यत: देखा गया है कि दिन भर की ड्यूटी करने के बाद सरकारी वाहनों को सरकार गैरेज में खड़े किए जाने के लिए जो सामान्यत: रे.सु.ब. अधिकारियां के निवास से बहुत दूर होते हैं "डैड माइलेज" तय करनी पड़ती है। इसलिए ईंधन के व्यय में किफायत सुनिश्चित करने के लिए रे.सु.ब. राजपत्रित अधिकारियों को वाहनों को अपने अपने आवासों पर रखने की अनुमति दी जाती है। यह जरुरी है विशेषत: इसलिए भी कि रे.सु.ब. अधिकारियों को 24 घंटे जरुरी ड्यूटियां निभानी पड़ती है।

(vi) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि पी ओ एल के मासिक कोटा और प्रत्येक अतिरिक्त वाहन के बारे में भी मरम्मतों आदि के लिए चालू व्यय के लिए आवश्यक मंजूरी आपके द्वारा वित्त के परामर्श से प्राप्त की जाती है।

इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए।

ए.पी. दुराय
महानिदेशक/रे.सु.ब.

प्रतिलिपि :

महाप्रबंधक, सब भारतीय रेलें सूचनार्थ
मंडल सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब., सब क्षेत्रीय रेलें
आवश्यक कार्रवाई के लिए